न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 40/2022 **दायर दिनांकः 08/04/2022**

उनवान

1. कौशल्याबाई आयु 60 वर्ष पुत्री जगन्नाथ जाति रेगर निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर0टी0एक्ट0
व धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—
वादिया :—विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा

निर्णय दिनाकः 09/06/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादिया ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर0टी0एक्ट0 एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मोठपुर पटवार क्षेत्र मोठपुर तहसील अटरू की खाता संख्या 391 का ख0नं0 611 का रकबा 0.13 है0, ख0 नं0 612 का रकबा 1.16 है0 किता 2 रकबा 1.29 है0 तथा ख0नं0 2241/2912 का रकबा 0.19 है0, ख0 नं0 2241/2913 का रकबा 0.16 है0, ख0नं0 2244/2911 का रकबा 0.12 है0, ख0 नं0 2245 का रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 का रकबा 0.85 है0 आराजी वादिया के शामलाती खाते है। नकल जमाबछी संवत 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में खाता संख्या 391 में वादिया का नाम कान्ही पुत्री जगन्नाथ दर्ज है जो वादिया का गलत नाम है तथा खाता संख्या 821 में वादिया का नाम कान्ती पुत्री जगन्नाथ दर्ज है जो वादिया का गलत नाम है। जबकि वादिया का सही नाम कौशल्या बाई पुत्री जगन्नाथ है। वादिया के पिता का स्वर्गवास होने के बाद फौती इन्तकाल खुलवाते समय वादिया का बोलता नाम कान्ही व कान्ती लिखवा दिया गया। जिससे वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में

कान्ही व कान्ती दर्ज हो गया । आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में वादिया का नाम कौशल्याबाई पुत्री जगन्नाथ है। इसलिए वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न है। वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न भिन्न नाम होने से वादिया को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पडता है। अस्तु वादिया राजस्व रिकार्ड में अपना नाम कान्ही पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर व कान्ती पुत्री जगन्नाथ के स्थान पर कौशल्याबाई पुत्री जगन्नाथ दर्ज करवाने की अधिकारी है। जिसे बिना न्यायालय की सहायता के नहीं करवाया जा सकता। अस्तु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमि धारक होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है उनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है मामला मात्र नाम व रिकार्ड दुरूस्ती का है इसलिए उन्हे 80 सी0पी0सी0 का नोटिस नहीं दिया गया है। वाद कारण प्रथम बार दिांक 25.02.2021 को वादिया द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना के आवेदन करने पर जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज से आवेदन खारिज पर तथा वादिया द्वारा कई बार प्रतिवादी से नाम दुरूस्त करने का निवेदन के बावजूद भी नहीं करने पर अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद की विष्यवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायलय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद पत्र की द्वितीय प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिया का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादिया के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा वाद सादिर फरमाई जावे किः–

(अ) यह कि वादिया का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 391 में कान्ही पुत्री जगन्नाथ के स्थान पर कौशल्याबाई पुत्री जगन्नाथ तथा खाता संख्या 821 में कान्ती पुत्री जगन्नाथ के स्थान पर कौशल्याबाई पुत्री जगन्नाथ राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(ब) यह कि अन्य सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 से pw 2 के शपथ पत्र पेश किये गये।

3. साक्ष्यवादी कौशल्याबाई पुत्री जगन्नाथ जाति रेगर निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी कौशल्याबाई ने बताया कि ग्राम एवं माल मोठपुर पटवार क्षेत्र मोठपुर तहसील अटरू की खाता संख्या 391 का ख0नं0 611 का रकबा 0.13 है0, ख0 नं0 612 का रकबा 1.16 है0 किता 2 रकबा 1.29 है0 तथा ख0नं0 2241/2912 का रकबा 0.19 है0, ख0 नं0 2241/2913 का रकबा 0.16 है0, ख0नं0 2244/2911 का रकबा 0.12 है0, ख0 नं0 2245 का रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 का रकबा 0.85 है0 आराजी मेरे शामलाती खाते दर्ज है। उक्त आराजी में खाता संख्या 391 में मेरा नाम कान्ही पुत्री जगन्नाथ दर्ज है जो मेरा गलत नाम है तथा खाता संख्या 821 में मेरा नाम कान्ती पुत्री जगन्नाथ दर्ज है जो मेरा गलत नाम है। जबकि मेरा सही नाम कौशल्या बाई पुत्री जगन्नाथ है। मेरे पिता का स्वर्गवास होने के बाद फौती इन्तकाल खुलवाते समय मेरा का बोलता नाम कान्ही व कान्ती लिखवा दिया गया। जिससे मेरा नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कान्ही व कान्ती दर्ज हो गया। आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में वादिया का ाम कौशल्याबाइ पुत्री जगन्नाथ हैं इसलिए वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अनरू दस्तावेजों में भिन्न है। इसलिए वादिया का नाम कान्ही पुत्री जगन्नाथ के स्थान पर कौशल्याबाई पुत्री जगन्नाथ तथा खाता संख्या 821 में कान्ती पुत्री जगन्नाथ के स्थान पर कौशल्याबाई पुत्री जगन्नाथ राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

साक्ष्यवादी घनश्याम पुत्र धन्नालाल जाति रेगर निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी घनश्याम ने बताया कि ग्राम एवं माल मोठपुर पटवार क्षेत्र मोठपुर तहसील अटरू की खाता संख्या 391 का ख0नं0 611 का रकबा 0.13 है0, ख0 नं0 612 का रकबा 1.16 है0 किता 2 रकबा 1.29 है0 तथा ख0नं0 2241/2912 का रकबा 0. 19 है0, ख0 नं0 2241/2913 का रकबा 0.16 है0, ख0नं0 2244/2911 का रकबा 0.12 है0, ख0 नं0 2245 का रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 का रकबा 0.85 है0 आराजी मेरे शामलाती खाते दर्ज

है। उक्त आराजी में खाता संख्या 391 में वादिया का नाम कान्ही पुत्री जगन्नाथ दर्ज है जो वादिया का गलत नाम है तथा खाता संख्या 821 में वादिया का नाम कान्ती पुत्री जगन्नाथ दर्ज है जो वादिया का गलत नाम है। जबकि वादिया का सही नाम कौशल्या बाई पुत्री जगन्नाथ है। वादिया के पिता का स्वर्गवास होने के बाद फौती इन्तकाल खुलवाते समय वादिया का बोलता नाम कान्ही व कान्ती लिखवा दिया गया। जिससे वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कान्ही व कान्ती दर्ज हो गया। आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में वादिया का नाम कौशल्याबाइ पुत्री जगन्नाथ हैं इसलिए वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न है। इसलिए वादिया का नाम कान्ही पुत्री जगन्नाथ के स्थान पर कौशल्याबाई पुत्री जगन्नाथ तथा खाता संख्या 821 में कान्ती पुत्री जगन्नाथ के स्थान पर कौशल्याबाई पुत्री जगन्नाथ राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

4. अभिभाषक वादिया की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक वादिया द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वादिया का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 391 में कान्ही पुत्री जगन्नाथ के स्थान पर कौशल्याबाई पुत्री जगन्नाथ तथा खाता संख्या 821 में कान्ती पुत्री जगन्नाथ के स्थान पर कौशल्याबाई पुत्री जगन्नाथ राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

5. उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत ग्राम मोठपुर की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 391 किता 2 रकबा 1.29 है0 में वादिया का नाम शामलाती खाते में कान्ही पुत्री जगन्नाथ दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 821 की किता 6 रकबा 0.85 है0 आराजी में वादिया का नाम शामलाती खाते में कान्ती पुत्री जगन्नाथ दर्ज है। प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र में वादिया का नाम कौशल्या बाई पुत्री जगन्नाथ दर्ज है। आधार कार्ड में कौशल्या बाई पत्नि केसरी लाल दर्ज है। कार्यालय ग्राम पंचायत मोठपुर के प्रमाण पत्र दिनांक 09.03.2022 के अनुसार कौशल्याबाई एवं कान्तीबाई पुत्री जगन्नाथ दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

6. रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में वादिया का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर0टी0एक्ट0 एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित

आराजी ग्राम एवं माल मोठपुर पटवार क्षेत्र मोठपुर तहसील अटरू की खाता संख्या 391 का ख0नं0 611 का रकबा 0.13 है0, ख0 नं0 612 का रकबा 1.16 है0 किता 2 रकबा 1.29 है0 में सहखातेदार कान्ही पुत्री जगन्नाथ के स्थान पर कौशल्या बाई उर्फ कान्ही पुत्री जगन्नाथ तथा खाता संख्या 821 के ख0नं0 2241/2912 का रकबा 0.19 है0, ख0 नं0 2241/2913 का रकबा 0.16 है0, ख0नं0 2244/2911 का रकबा 0.12 है0, ख0 नं0 2245 का रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 का रकबा 0.85 है0 में सहखातेदार कान्ती पुत्री जगन्नाथ के स्थान पर कौशल्या बाई उर्फ कान्ती पुत्री जगन्नाथ दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 40 / 2022

उनवान

1. कौशल्याबाई आयु 60 वर्ष पुत्री जगन्नाथ जाति रेगर निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर0टी0एक्ट0

व धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–

वादिया :–विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मोठपुर पटवार क्षेत्र मोठपुर तहसील अटरू की खाता संख्या 391 का ख0नं0 611 का रकबा 0.13 है0, ख0 नं0 612 का रकबा 1.16 है0 किता 2 रकबा 1.29 है0 में सहखातेदार कान्ही पुत्री जगन्नाथ के स्थान पर कौशल्या बाई उर्फ कान्ही पुत्री जगन्नाथ तथा खाता संख्या 821 के ख0नं0 2241 / 2912 का रकबा 0.19 है0, ख0 नं0 2241 / 2913 का रकबा 0.16 है0, ख0नं0 2244 / 2911 का रकबा 0.12 है0, ख0 नं0 2245 का रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 का रकबा 0.85 है0 में सहखातेदार कान्ती पुत्री जगन्नाथ के स्थान पर कौशल्या बाई उर्फ कान्ती पुत्री जगन्नाथ दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.........................
..........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.06.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनामा
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)